"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 461] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017— कार्तिक 6, शक 1939

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/1.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-19/15-02/2012/01, दिनांक 04-05-2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त समस्त शक्तियां, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रयोग की जाएंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/1, दिनांक 26-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2017

NOTIFICATION

No./F 15-23/15-02/2015/1. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this Department's Notification No. F 15-19/15-02/2012/01, dated 04-05-2012, the State Government, hereby, directs that, all the powers conferred on the Registrar under the said Act and Rules made thereunder shall be exercised by the Joint Registrar of Co-operative Societies, at the Head Quarter within the State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. SARPRAJ, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक/ एफ 15-23/15-02/2015/2. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-19/15-02/2012/02, दिनांक 04-05-2012 एवं एफ 1-8/2014/15-1/6, दिनांक 16-09-2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त की गई समस्त शक्तियां तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्य, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट विस्तार तथा सीमा तक और कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर भी प्रयोग की जाएंगी तथा उनका पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	अधिकारी	शक्तियां तथा कर्तव्यों का विस्तार तथा सीमा	विनिर्दिष्ट क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रायपुर संभाग	समस्त प्रकार की सोसायटी के संबंध में, रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य, जिनके कार्य क्षेत्र की सीमा (विस्तार) कॉलम (4) में यथा विर्णित अधिकारिता के भीतर हों [धारा 55(1) एवं 80(क) वित्तीय बैंक/केन्द्रीय सोसायटी से संबंधित को छोड़कर].	रायपुर राजस्व संभाग
2.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, बिलासपुर संभाग	-तदैव-	बिलासपुर राजस्व संभाग
3.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, बस्तर संभाग	-तदैव-	बस्तर राजस्व संभाग
4.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सरगुजा संभाग	-तदैव-	सरगुजा राजस्व संभाग

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, दुर्ग संभाग	-तदैव-	दुर्ग राजस्व संभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ 15-23/15-02/2015/2, दिनांक 26-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2017

NOTIFICATION

No./ F15-23/15-02/2015/2. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this Department's Notification No. F 15-19/15-02/2012/02, dated 04-05-2012, and F 1-8/2014/15-1/6, dated 16-09-2015, the State Government, hereby, directs that, all the powers conferred on the Registrar and duties imposed upon him under the said Act and Rules made thereunder shall also be exercised and performed by the Officers Specified in column (2) of the Schedule below to the extent and limit as specified in column (3) and within the area as specified in column (4) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Officers	Extent and limit of powers and duties	Specified Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Joint Registrar, Co-operaive Societies, Raipur Division.	All powers and duties of Registrar in respect of all types of societies whose area of operation extends within the jurisdiction as stated in column (4) [Except Section 55(1) and 80(a) in respect of Financial Banks/Central Societies.]	Raipur Revenue Division
2.	Joint Registrar, Co-operaive Societies, Bilaspur Division.	---do---	Bilaspur Revenue Division
3.	Joint Registrar, Co-operaive Societies, Bastar Division.	---do---	Bastar Revenue Division

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Joint Registrar, Co-operaive Societies, Surguja Division.	---do---	Surguja Revenue Division
5.	Joint Registrar, Co-operaive Societies, Durg Division.	---do---	Durg Revenue Division

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. SARPRAJ, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक/एफ15-23/15-02/2015/3. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-19/15-02/2012/03, दिनांक 04 मई 2012, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि :-

(1) नीचे दी गई प्रथम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्टउनके अपने-अपने अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी, और

(2) नीचे दी गई द्वितीय अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्टउनके अपने-अपने अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :-

प्रथम अनुसूची

स.क्र.	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6(1)		ऐसे समस्त सोसाइटी जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	1. रायपुर 2. महासमुंद 3. धमतरी 4. बलौदाबाजार 5. दुर्ग 6. बालोद 7. बेमेतरा 8. राजनांदगांव 9. कबीरधाम 10. बिलासपुर 11. जांजगीर–चांपा 12. कोरबा 13. रायगढ़ 14. सरगुजा 15. सूरजपुर 16. बस्तर 17. कांकेर
2	7 (1)		–तदैव–	–तदैव–
3	8		–तदैव–	–तदैव–
4	9		–तदैव–	–तदैव–
5	9–क		–तदैव–	–तदैव–
6	10(1)		–तदैव–	–तदैव–
7	11		–तदैव–	–तदैव–
8	12		–तदैव–	–तदैव–
9	13		–तदैव–	–तदैव–
10	14		–तदैव–	–तदैव–
11	15(2)		–तदैव–	–तदैव–
12	16		–तदैव–	–तदैव–
13	17		–तदैव–	–तदैव–
14	18		–तदैव–	–तदैव–
15	19(2–क)		–तदैव–	–तदैव–
16	19–कक		–तदैव–	–तदैव–
17	19–ख		–तदैव–	–तदैव–
18	32		–तदैव–	–तदैव–
19	37(4)		–तदैव–	–तदैव–
20	44(1)		–तदैव–	–तदैव–
21	45		–तदैव–	–तदैव–
22	48–क(2)		उन सोसाइटी के सम्बंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	49		उन सोसाइटी के सम्बंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	–तदैव–
24	49–ख		–तदैव–	–तदैव–
25	49–ग(3)		–तदैव–	–तदैव–
26	49–च		–तदैव–	–तदैव–
27	50		–तदैव–	–तदैव–
28	53		–तदैव–	–तदैव–
29	53–क		–तदैव–	–तदैव–
30	55(2)		–तदैव–	–तदैव–
31	56		–तदैव–	–तदैव–
32	57		–तदैव–	–तदैव–
33	57–क		–तदैव–	–तदैव–
34	58 (उप–धारा (3) को छोड़कर)		–तदैव–	–तदैव–
35	58–ख(1)(2) एवं (5)		–तदैव–	–तदैव–
36	60		–तदैव–	–तदैव–
37	61		–तदैव–	–तदैव–
38	62		–तदैव–	–तदैव–
39	63–क		–तदैव–	–तदैव–
40	64		–तदैव–	–तदैव–
41	65		–तदैव–	–तदैव–
42	66		–तदैव–	–तदैव–
43	67		–तदैव–	–तदैव–
44	68		–तदैव–	–तदैव–
45	69		–तदैव–	–तदैव–
46	70		–तदैव–	–तदैव–
47	71		–तदैव–	–तदैव–
48	72		–तदैव–	–तदैव–
49	81		–तदैव–	–तदैव–
50	83		–तदैव–	–तदैव–
51	84		समस्त सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	–तदैव–
52	84–क		–तदैव–	–तदैव–
53	85		–तदैव–	–तदैव–
54	89		–तदैव–	–तदैव–
55	90		–तदैव–	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56		5	ऐसे समस्त सोसाइटी जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	–तदैव–
57		7	–तदैव–	–तदैव–
58		9	–तदैव–	–तदैव–
59		11 (उप–नियम (7) को छोड़कर)	–तदैव–	–तदैव–
60		22	–तदैव–	–तदैव–
61		25–क	–तदैव–	–तदैव–
62		26	–तदैव–	–तदैव–
63		32(1) (पांच) (ग)	उन सोसाइटी के सम्बंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ, जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	–तदैव–
64		34	–तदैव–	–तदैव–
65		35	–तदैव–	–तदैव–
66		36(द्वितीय परंतुक)	–तदैव–	–तदैव–
67		43–क(2)एवं (5)	–तदैव–	–तदैव–
68		43–ख	–तदैव–	–तदैव–
69		44	–तदैव–	–तदैव–
70		50	–तदैव–	–तदैव–
71		50–क	–तदैव–	–तदैव–
72		52	–तदैव–	–तदैव–
73		53	–तदैव–	–तदैव–
74		54(1) एवं (2)	–तदैव–	–तदैव–
75		55	–तदैव–	–तदैव–
76		56	–तदैव–	–तदैव–
77		57 (खण्ड (ङ),(छ) और (ण) को छोड़कर)	–तदैव–	–तदैव–
78		58	–तदैव–	–तदैव–
79		65	समस्त सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	–तदैव–

द्वितीय अनुसूची

स.क्र.	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6(1)		निम्नलिखित सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां :– 1–प्राथमिक संसाधन सोसाइटी 2–प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटी 3–प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटी 4–प्राथमिक उत्पादक सोसाइटी 5–प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटी 6–कृषि सोसाइटी	1. रायपुर 2. महासमुंद 3. धमतरी 4. बलौदाबाजार 5. दुर्ग 6. बालोद 7. बेमेतरा 8. राजनांदगांव 9. कबीरधाम 10. बिलासपुर 11. जांजगीर–चांपा 12. कोरबा 13. रायगढ़ 14. सरगुजा 15. सूरजपुर 16. बस्तर 17. कांकेर
2	7(1)		–तदैव–	–तदैव–
3	8		–तदैव–	–तदैव–
4	9		–तदैव–	–तदैव–
5	10(1)		–तदैव–	–तदैव–
6	11		–तदैव–	–तदैव–
7	12		–तदैव–	–तदैव–
8	14		–तदैव–	–तदैव–
9	15(2)		–तदैव–	–तदैव–
10	16		–तदैव–	–तदैव–
11	17		–तदैव–	–तदैव–
12	18		–तदैव–	–तदैव–
13	19–कक		–तदैव–	–तदैव–
14	32		–तदैव–	–तदैव–
15	37(4)		–तदैव–	–तदैव–
16	45		–तदैव–	–तदैव–
17	49		–तदैव–	–तदैव–
18	49–ग(3)		–तदैव–	–तदैव–
19	50		–तदैव–	–तदैव–
20	53		–तदैव–	–तदैव–
21	53–क		–तदैव–	–तदैव–
22	55(2)		–तदैव–	–तदैव–
23	56		–तदैव–	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	57		–तदैव–	–तदैव–
25	58 (उप–धारा(3) को छोड़कर)		–तदैव–	–तदैव–
26	60		–तदैव–	–तदैव–
27	61		–तदैव–	–तदैव–
28	62		–तदैव–	–तदैव–
29	63–क		–तदैव–	–तदैव–
30	64		–तदैव–	–तदैव–
31	65		–तदैव–	–तदैव–
32	66		–तदैव–	–तदैव–
33	67		–तदैव–	–तदैव–
34	68		–तदैव–	–तदैव–
35	69		–तदैव–	–तदैव–
36	70		–तदैव–	–तदैव–
37	71		–तदैव–	–तदैव–
38	81		–तदैव–	–तदैव–
39	83		–तदैव–	–तदैव–
40	84		–तदैव–	–तदैव–
41	84–क		–तदैव–	–तदैव–
42	85		–तदैव–	–तदैव–
43	89		–तदैव–	–तदैव–
44	90		–तदैव–	–तदैव–
45		5	–तदैव–	–तदैव–
46		9	–तदैव–	–तदैव–
47		11 (उप–नियम (7) को छोड़कर)	–तदैव–	–तदैव–
48		22	–तदैव–	–तदैव–
49		34	–तदैव–	–तदैव–
50		35	–तदैव–	–तदैव–
51		36 (द्वितीय परंतुक)	–तदैव–	–तदैव–
52		43–क(2) एवं (5)	–तदैव–	–तदैव–
53		44	–तदैव–	–तदैव–
54		50	–तदैव–	–तदैव–
55		50–क	–तदैव–	–तदैव–
56		52	–तदैव–	–तदैव–
57		53	–तदैव–	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58		54(1) तथा (2)	–तदैव–	–तदैव–
59		55	–तदैव–	–तदैव–
60		56	–तदैव–	–तदैव–
61		57 (खण्ड (ङ)(छ) और (ण) को छोड़कर)	–तदैव–	–तदैव–
62		58	–तदैव–	–तदैव–
63		65	–तदैव–	–तदैव–

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/3, दिनांक 26-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2017

NOTIFICATION

No./F15-23/15-02/2015/3. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), and in supersession of this Department's Notification No. F 15-19/15-02/2012/03, dated 04-05-2012, the State Government, hereby, directs that :-

(1) The Powers conferred on the Registrar, Co-operative Societies Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2) and Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, as specified in column (3) of the first schedule given below shall be exercised by the Deputy Registrar of Co-operative Societies, to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule, and

(2) The Powers conferred on the Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2) and Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, as specified in column (3) of the second schedule given below shall be exercised by the Assistant Registrar of Co-operative Societies, to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

FIRST SCHEDULE

S.No.	Section of the Act	Rules	Extent of Powers	Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6(1)		All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of the District.	1. Raipur 2. Mahasamund 3. Dhamtari 4. Baloda Bazar 5. Durg 6. Balod 7. Bemetara 8. Rajnandgaon 9. Kabirdham 10. Bilaspur 11. Janjgir-Champa 12. Korba 13. Raigarh 14. Surguja 15. Surajpur 16. Baster 17. Kanker
2	7(1)		-do-	-do-
3	8		-do-	-do-
4	9		-do-	-do-
5	9-A		-do-	-do-
6	10(1)		-do-	-do-
7	11		-do-	-do-
8	12		-do-	-do-
9	13		-do-	-do-
10	14		-do-	-do-
11	15(2)		-do-	-do-
12	16		-do-	-do-
13	17		-do-	-do-
14	18		-do-	-do-
15	19(2-A)		-do-	-do-
16	19-AA		-do-	-do-
17	19-B		-do-	-do-
18	32		-do-	-do-
19	37(4)		-do-	-do-
20	44(1)		-do-	-do-
21	45		-do-	-do-
22	48-A(2)		All powers of the Registrar in respect of those Societies which he can Register.	-do-
23	49		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	49-B		-do-	-do-
25	49-C (3)		-do-	-do-
26	49-F		-do-	-do-
27	50		-do-	-do-
28	53		-do-	-do-
29	53-A		-do-	-do-
30	55(2)		-do-	-do-
31	56		-do-	-do-
32	57		-do-	-do-
33	57-A		-do-	-do-
34	58 (Except sub-section(3))		-do-	-do-
35	58-B (1),(2)and(5)		-do-	-do-
36	60		-do-	-do-
37	61		-do-	-do-
38	62		-do-	-do-
39	63-A		-do-	
40	64		-do-	-do-
41	65		-do-	-do-
42	66		-do-	-do-
43	67		-do-	-do-
44	68		-do-	-do-
45	69		-do-	-do-
46	70		-do-	-do-
47	71		-do-	-do-
48	72		-do-	-do-
49	81		-do-	-do-
50	83		-do-	-do-
51	84		All powers of the Registrar in respect of all societies	-do-
52	84-A		-do-	-do-
53	85		-do-	-do-
54	89		-do-	-do-
55	90		-do-	-do-
56		5	All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of districts.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57		7	-do-	-do-
58		9	-do-	-do-
59		11 (Except sub-rule(7))	-do-	-do-
60		22	-do-	-do-
61		25-A	-do-	-do-
62		26	-do-	-do-
63		32(1)(v)(c)	All powers of the Registrar in respect of those societies in which he can register	-do-
64		34	-do-	-do-
65		35	-do-	-do-
66		36 (2nd Proviso)	-do-	-do-
67		43-A(2) and (5)	-do-	-do-
68		43-B	-do-	-do-
69		44	-do-	-do-
70		50	-do-	-do-
71		50-A	-do-	-do-
72		52	-do-	-do-
73		53	-do-	-do-
74		54 (1) and (2)	-do-	-do-
75		55	-do-	-do-
76		56	-do-	-do-
77		57 (Except clauses (e), (g) and (o))	All power of the Registrar in respect of those societies in which he can register	-do-
78		58	-do-	-do-
79		65	All power of the Registrar in respect of all societies	-do-

SECOND SCHEDULE

S.No.	Section of the Act	Rules	Extent of Powers	Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6(1)		All Powers of the Registrar in respect of the following societies. 1- Primary Resources societies 2- Primary Consumers societies 3-Primary multipurpose societies 4- Primary producers societies 5- Primary Industrial societies 6- Agricultural societies	1. Raipur 2. Mahasamund 3. Dhamtari 4. Baloda Bazar 5. Durg 6. Balod 7. Bemetara 8. Rajnandgaon 9. Kabirdham 10. Bilaspur 11. Janjgir-Champa 12. Korba 13. Raigarh 14. Surguja 15. Surajpur 16. Baster 17. Kanker
2	7(1)		-do-	-do-
3	8		-do-	-do-
4	9		-do-	-do-
5	10(1)		-do-	-do-
6	11		-do-	-do-
7	12		-do-	-do-
8	14		-do-	-do-
9	15(2)		-do-	-do-
10	16		-do-	-do-
11	17		-do-	-do-
12	18		-do-	-do-
13	19-AA		-do-	-do-
14	32		-do-	-do-
15	37(4)		-do-	-do-
16	45		-do-	-do-
17	49		-do-	-do-
18	49-C (3)		-do-	-do-
19	50		-do-	-do-
20	53		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	53-A		-do-	-do-
22	55(2)		-do-	-do-
23	56		-do-	-do-
24	57		-do-	-do-
25	58 (Except sub-section (3))		-do-	-do-
26	60		-do-	-do-
27	61		-do-	-do-
28	62		-do-	-do-
29	63-A		-do-	-do-
30	64		-do-	-do-
31	65		-do-	-do-
32	66		-do-	-do-
33	67		-do-	-do-
34	68		-do-	-do-
35	69		-do-	-do-
36	70		-do-	-do-
37	71		-do-	-do-
38	81		-do-	-do-
39	83		-do-	-do-
40	84		-do-	-do-
41	84-A		-do-	-do-
42	85		-do-	-do-
43	89		-do-	-do-
44	90		-do-	-do-
45		5	-do-	-do-
46		9	-do-	-do-
47		11(Except sub-rule(7))	-do-	-do-
48		22	-do-	-do-
49		34	-do-	-do-
50		35	-do-	-do-
51		36 (second proviso)	-do-	-do-
52		43-A (2) and (5)	-do-	-do-
53		44	-do-	-do-
54		50	-do-	-do-
55		50-A	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56		52	-do-	-do-
57		53	-do-	-do-
58		54 (1) and (2)	-do-	-do-
59		55	-do-	-do-
60		56	-do-	-do-
61		57 (Except clauses (e) (g) and (o))	-do-	-do-
62		58	-do-	-do-
63		65	-do-	-do-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. SARPRAJ, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/4.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-19/15-02/2012/04, दिनांक 04-05-2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उनके अपने-अपने अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	अधिनियम की धारा	नियम	शक्तियों की सीमा	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6 (1)		ऐसे समस्त सोसाइटी जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां	1. गरियाबंद 2. मुंगेली 3. कोरिया 4. बलरामपुर 5. जशपुर 6. बीजापुर 7. दंतेवाड़ा 8. नारायणपुर 9. कोण्डागांव 10. सुकमा
2.	7 (1)		-तदैव-	-तदैव-
3.	8		-तदैव-	-तदैव-
4.	9		-तदैव-	-तदैव-
5.	9-क		-तदैव-	-तदैव-
6.	10 (1)		-तदैव-	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	11		–तदैव–	–तदैव–
8	12		–तदैव–	–तदैव–
9	13		–तदैव–	–तदैव–
10	14		–तदैव–	–तदैव–
11	15(2)		–तदैव–	–तदैव–
12	16		–तदैव–	–तदैव–
13	17		–तदैव–	–तदैव–
14	18		–तदैव–	–तदैव–
15	19(2–क)		–तदैव–	–तदैव–
16	19–कक		–तदैव–	–तदैव–
17	19–ख		–तदैव–	–तदैव–
18	32		–तदैव–	–तदैव–
19	37(4)		–तदैव–	–तदैव–
20	44(1)		–तदैव–	–तदैव–
21	45		–तदैव–	–तदैव–
22	48–क(2)		उन सोसाइटी के सम्बंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	–तदैव–
23	49		–तदैव–	–तदैव–
24	49–ख		–तदैव–	–तदैव–
25	49–ग(3)		–तदैव–	–तदैव–
26	49–च		–तदैव–	–तदैव–
27	50		–तदैव–	–तदैव–
28	53		–तदैव–	–तदैव–
29	53–क		–तदैव–	–तदैव–
30	55(2)		–तदैव–	–तदैव–
31	56		–तदैव–	–तदैव–
32	57		–तदैव–	–तदैव–
33	57–क		–तदैव–	–तदैव–
34	58 (उप–धारा (3) को छोडकर)		–तदैव–	–तदैव–
35	58–ख (1)(2) एवं (5)		–तदैव–	–तदैव–
36	60		–तदैव–	–तदैव–
37	61		–तदैव–	–तदैव–
38	62		–तदैव–	–तदैव–
39	63–क		–तदैव–	–तदैव–
40	64		–तदैव–	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	65		–तदैव–	–तदैव–
42	66		–तदैव–	–तदैव–
43	67		–तदैव–	–तदैव–
44	68		–तदैव–	–तदैव–
45	69		–तदैव–	–तदैव–
46	70		–तदैव–	–तदैव–
47	71		–तदैव–	–तदैव–
48	72		–तदैव–	–तदैव–
49	81		–तदैव–	–तदैव–
50	83		–तदैव–	–तदैव–
51	84		समस्त सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	–तदैव–
52	84–क		–तदैव–	–तदैव–
53	85		–तदैव–	–तदैव–
54	89		–तदैव–	–तदैव–
55	90		–तदैव–	–तदैव–
56		5	ऐसे समस्त सोसाइटी जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	–तदैव–
57		7	–तदैव–	–तदैव–
58		9	–तदैव–	–तदैव–
59		11 (उप–नियम (7) को छोड़कर)	–तदैव–	–तदैव–
60		22	–तदैव–	–तदैव–
61		25–क	–तदैव–	–तदैव–
62		26	–तदैव–	–तदैव–
63		32(1) (पांच) (ग)	–तदैव–	–तदैव–
64		34	उन सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ, जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है।	–तदैव–
65		35	–तदैव–	–तदैव–
66		36 (द्वितीय परंतुक)	–तदैव–	–तदैव–
67		43–क (2) एवं (5)	–तदैव–	–तदैव–
68		43–ख	–तदैव–	–तदैव–
69		44	–तदैव–	–तदैव–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70		50	–तदैव–	–तदैव–
71		50–क	–तदैव–	–तदैव–
72		52	–तदैव–	–तदैव–
73		53	–तदैव–	–तदैव–
74		54 (1) एवं (2)	–तदैव–	–तदैव–
75		55	–तदैव–	–तदैव–
76		56	–तदैव–	–तदैव–
77		57 (खण्ड (ङ),(छ) और (ण) को छोड़कर)	–तदैव–	–तदैव–
78		58	–तदैव–	–तदैव–
79		65	समस्त सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ।	–तदैव–

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक/एफ 15-23/15-02/2015/4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ 15-23/15-02/2015/4, दिनांक 26-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2017

NOTIFICATION

No./ F 15-23/15-02/2015/4. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), and in supersession of this Department's Notification No./ F 15-19/15-02/2012/04, dated 04-05-2012, the State Government, hereby, directs that the Powers conferred on the Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2) and Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, as specified in column (3) of schedule given below shall be exercised by the Assistant Registrar of Co-operative Societies, to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S.No.	Section of the Act	Rules	Extent of Powers	Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6(1)		All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of the District.	1. Gariaband 2. Mungeli 3. Korea 4. Balrampur 5. Jashpur 6. Bijapur 7. Dantewada 8. Narayanpur 9. Kondagaon 10. Sukma
2	7(1)		-do-	-do-
3	8		-do-	-do-
4	9		-do-	-do-
5	9-A		-do-	-do-
6	10(1)		-do-	-do-
7	11		-do-	-do-
8	12		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	13		-do-	-do-
10	14		-do-	-do-
11	15(2)		-do-	-do-
12	16		-do-	-do-
13	17		-do-	-do-
14	18		-do-	-do-
15	19(2-A)		-do-	-do-
16	19-AA		-do-	-do-
17	19-B		-do-	-do-
18	32		-do-	-do-
19	37(4)		-do-	-do-
20	44(1)		-do-	-do-
21	45		-do-	-do-
22	48-A(2)		All powers of the Registrar in respect of those Societies which he can Register.	-do-
23	49		-do-	-do-
24	49-B		-do-	-do-
25	49-C (3)		-do-	-do-
26	49-F		-do-	-do-
27	50		-do-	-do-
28	53		-do-	-do-
29	53-A		-do-	-do-
30	55(2)		-do-	-do-
31	56		-do-	-do-
32	57		-do-	-do-
33	57-A		-do-	-do-
34	58 (Except sub-section(3))		-do-	-do-
35	58-B (1),(2)and(5)		-do-	-do-
36	60		-do-	-do-
37	61		-do-	-do-
38	62		-do-	-do-
39	63-A		-do-	
40	64		-do-	-do-
41	65		-do-	-do-
42	66		-do-	-do-
43	67		-do-	-do-
44	68		-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45	69		-do-	-do-
46	70		-do-	-do-
47	71		-do-	-do-
48	72		-do-	-do-
49	81		-do-	-do-
50	83		-do-	-do-
51	84		All powers of the Registrar in respect of all societies	-do-
52	84-A		-do-	-do-
53	85		-do-	-do-
54	89		-do-	-do-
55	90		-do-	-do-
56		5	All power of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of the districts.	-do-
57		7	-do-	-do-
58		9	-do-	-do-
59		11 (Except sub-rule(7))	-do-	-do-
60		22	-do-	-do-
61		25-A	-do-	-do-
62		26	-do-	-do-
63		32(1)(v)(c)	-do-	-do-
64		34	All powers of the Registrar in respect of those societies in which he can register	-do-
65		35	-do-	-do-
66		36 (2nd Proviso)	-do-	-do-
67		43-A(2) and (5)	-do-	-do-
68		43-B	-do-	-do-
69		44	-do-	-do-
70		50	-do-	-do-
71		50-A	-do-	-do-
72		52	-do-	-do-
73		53	-do-	-do-
74		54 (1) and (2)	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75		55	-do-	-do-
76		56	-do-	-do-
77		57 (Except clauses (e), (g) and (o))	-do-	-do-
78		58	-do-	-do-
79		65	All powers of the Registrar in respect of those societies	-do-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. SARPRAJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.